लोकायुक्त

प्रलिम्सि के लिये:

लोकायुक्त, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF), लोकपाल, प्रशासनिक सुधार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

मेन्स के लिये:

भारत में लोकायुक्त से संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

केरल लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (Chief Minister's Distress Relief Fund- CMDRF) में कथित **भाई-भतीजावाद और विसंगतियों** से संबंधित एक मामले को जाँच हेतु तीन सदस्यीय पूर्ण न्यायपीठ को सौंप दिया है।

लोकायुक्त:

- **परिचय:**
  - लोकायुक्त भारतीय संसदीय ओम्बुड्समैन है, **जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके लिये काम करता है।**
  - **यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है।** किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य **लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की जाँच करना है।**
- **उत्पत्ति:**
  - **लोकायुक्त व्यवस्था की उत्पत्ति स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई थी।**
  - भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी।
  - वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित होने से पहले भारत के कई राज्यों ने 'लोकायुक्त' संस्थान बनाने के लिये कानून पारित किये।
    - महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने वर्ष 1971 में लोकायुक्त निकाय स्थापित किया था।
- **नियुक्ति:**
  - **लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।** नियुक्ति करते समय अधिकांश राज्यों में राज्यपाल **(a) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** और **(b) राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता** से परामर्श करता है।
- **कार्यकाल:**
  - अधिकांश राज्यों में **लोकायुक्त के लिये निर्धारित अवधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) होती है।** वह दूसरे कार्यकाल के लिये **पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं** है।
- **लोकायुक्त से संबंधित मुद्दे:**
  - **कोई स्पष्ट कानून नहीं:**
    - लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में **लोकायुक्त हेतु केवल एक धारा है, जो अनिवार्य करती है कि राज्यों को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त अधिनियम पारित करना होगा** तथा **उसकी संरचना, शक्तियों या अन्य विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।**
    - वास्तव में **राज्यों को इस बात की पूर्ण स्वायत्तता है कि उनके अपने लोकायुक्तों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है,** वे किस प्रकार कार्य करते हैं और वे किन परिस्थितियों में सेवा करते हैं।
  - **समाधान में विलंब:**
    - लोकायुक्त द्वारा सामना की जाने वाली **प्रमुख चुनौतियों में से एक जाँच और शिकायतों के समाधान में देरी है।**
    - लोकायुक्त **वित्तपोषण और बुनियादी ढाँचे के लिये भी राज्य सरकार पर निर्भर रहता है** , जिससे हस्तक्षेप और स्वतंत्रता की कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

आगे की राह

- **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियिम को मज़बूत करना:** लोकायुक्त को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने हेतु लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियिम में संशोधन कयिा जाना चाहयि, जैसे क**िमुख्यमंत्री एवं न्यायपालकिा सहति सभी लोक सेवकों के खलिाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच तथा मुकदमा चलाने की शक्त**ि प्रदान करना।
- **पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की नयिुक्ति:** देश भर में लोकायुक्त कार्यालयों को पर्याप्त रूप से कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता है जसिसे वे अपने **जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू करा सकें।**
- **जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि:** लोकायुक्त को अपने कामकाज़ में अधिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता बनाई रखनी चाहयि। उसे नयिमति रूप से अपनी गतविधियों, जाँच एवं परणािमों पर **रपिोर्ट प्रकाशति करनी चाहयि।**

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/lokayukta-6